सत्यमेव जयते

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण

वार्षिक प्रतिवेदन

वर्ष – 2024

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष–2024

(दिनांक 01.01.2024 से 31.12.2024 तक)

1. अधिकरण का क्षेत्राधिकार

1.1. राज्य कर्मचारियों के सेवा सम्बन्धी मामलों तथा आनुषंगिक विवादों के निपटारे के लिए राजस्थान विधान सभा द्वारा पारित राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की अनुपालना में राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण का गठन 1 जुलाई, 1976 को किया गया था। उक्त अधिनियम माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा अनुमोदन के पश्चात् ही लागू किया गया है। इसका क्षेत्राधिकार सम्पूर्ण राजस्थान है तथा सिविल सेवाएं जो राजपत्र में अधिसूचित हों (राजस्थान उच्चतर न्यायिक सेवा तथा राज. न्यायिक सेवा के सदस्य, राजस्थान उच्च न्यायालय के कर्मचारी, राजस्थान विधान सभा सचिवालय स्टाफ के कर्मचारी तथा राजस्थान लोक सेवा आयोग व लोकायुक्त कार्यालय, उपलोकायुक्त के कर्मचारियों के अलावा)। माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ के एस.बी. सिविल रिट पीटीशन संख्या 10061/2020 सुनील व्यास बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में दिनांक 02.12.2020 को पारित आदेश के अनुसरण में सार्वजनिक उपक्रम मय जे.डी.ए. एवं नगर निगम के कर्मचारियों को, राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम 1976 के नियम 2(एफ) में परिभाषित सेवा मामलों हेतु अधिकरण में प्रथम सुनवाई का हक प्रदान करने के कारण वर्तमान में उक्त विभागों के कर्मचारियों के सेवा मामलों की सुनवाई भी अधिकरण में की जा रही है।

1.2. जोधपुर में अधिकरण की चलपीठ का गठन 1.11.1997 से किया गया है। चलपीठ जोधपुर की प्रतिमाह बैठक हो रही है।

1.3. कार्मिक (क–2) विभाग के पत्र क्रमांक प0 9(4)कार्मिक/क–2/22 जयपुर, दिनांक 06.09.2022 के अनुसरण में चलपीठ जोधपुर के लिए सुनवाई हेतु प्रत्येक माह 8 (आठ) प्रभावी दिवस के लिए माह सितम्बर, 2022 से बैठक आयोजित की जा रही है।

1.4. कार्मिक (क–2) विभाग के पत्र क्रमांक प0 9(4)कार्मिक/क–2/2022–04040 जयपुर, दिनांक 04.05.2023 के द्वारा जोधपुर में अधिकरण की स्थाई पीठ की स्थापना की गई है। उक्त क्रम में राज्य सरकार द्वारा एक सामान्य सदस्य की नियुक्ति कर दी गई है एवं एक न्यायिक सदस्य की नियुक्ति राज्य सरकार के स्तर पर प्रक्रियाधीन है। तत्पश्चात् स्थाई पीठ जोधपुर की पूर्ण बैठक नियमित रूप से प्रारम्भ हो जाएगी।

2. न्याय पीठ का गठन

2.1 राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 3(2) के प्रावधानों के अनुसार अधिकरण में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधि–वेतनमान स्तर का अधिकारी तथा कम से कम दो अन्य सदस्य होंगे जिनमें एक राजस्थान उच्चतर न्यायिक सेवा का सदस्य होगा।

वर्तमान में निम्नानुसार न्यायिक व्यवस्था कार्यरत है।

अधिकरण के जयपुर कार्यालय में अध्यक्ष तथा राजस्थान उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्य के अतिरिक्त 01 भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी एवं 01 राजस्थान प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी सदस्यों के रूप में नियुक्त हैं। इसके अतिरिक्त अधिकरण की स्थाई पीठ जोधपुर में राजस्थान उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्य के अतिरिक्त 01 राजस्थान प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी सदस्यों के रूप में पद स्वीकृत/नियुक्त हैं। माननीय सदस्यों की सेवा शर्तें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाती हैं।

2.2 अधिकरण का संगठनात्मक विवरण

अध्यक्ष

सदस्य	सदस्य	सदस्य	रजिस्ट्रार	सदस्य	सदस्य (स्थाई पीठ जोधपुर)	सदस्य (स्थाई पीठ जोधपुर)

2.3 समीक्षाधीन अवधि 2024 में निम्नलिखित पदाधिकारी पदस्थापित रहे हैं :–

1.	श्री अश्विनी भगत, (IAS), अध्यक्ष	दिनांक 16.04.2022 से दिनांक 09.09.2024 तक
2.	श्री विकास सीतारामजी भाले, (IAS), अध्यक्ष	दिनांक 09.09.2024 से निरन्तर
3.	श्री अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)	दिनांक 19.07.2022 से निरन्तर
4.	श्रीमती शुचि शर्मा, (Rtd. IAS), सदस्य	दिनांक 03.01.2022 से दिनांक 02.01.2025 तक
5.	श्री चेतन राम देवड़ा, (Rtd. IAS), सदस्य	दिनांक 04.01.2023 से निरन्तर
6.	श्री लेखराज तोसावड़ा, (Rtd. RAS), सदस्य	दिनांक 04.01.2023 से निरन्तर
7.	श्री असलम मेहर, (Rtd. RAS), सदस्य (स्थाई पीठ जोधपुर)	दिनांक 09.10.2023 से निरन्तर
8.	श्री पंकज कुमार ओझा, (RAS), रजिस्ट्रार	दिनांक 17.10.2022 से दिनांक 06.03.2024 तक
9.	श्री राजेन्द्र सिंह, (RAS), रजिस्ट्रार	दिनांक 11.03.2024 से निरन्तर

2.4 अधिकरण के जयपुर कार्यालय में स्वीकृत/रिक्त पदों की स्थिति निम्नानुसार है:–

	पद नाम	स्वीकृत पद	रिक्त पद
1	निजी सचिव	02	–
2	सहायक रजिस्ट्रार	01	–
3	अतिरिक्त निजी सचिव	03	03
4	प्रोग्रामर	01	–
5	निजी सहायक ग्रेड–I	02	–
6	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	01	–
7	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II	01	–
8	निजी सहायक ग्रेड–II	06	02
9	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	03	–
10	पुस्तकालयाध्यक्ष	01	01
11	वरिष्ठ सहायक	07	02
12	सूचना सहायक	03	01
13	कनिष्ठ सहायक	08	02
14	वाहन चालक	03	–
15	जमादार	01	01
16	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	17	07

वर्तमान में 01 सलाहकार अधिकरण में कार्यरत् है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रिक्त पदों के विरूद्ध 10 होमगार्ड/नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक अधिकरण में कार्यरत हैं।

2.5 अधिकरण की स्थाई पीठ जोधपुर में स्वीकृत/रिक्त पदों की स्थिति निम्नानुसार है:–

	पद नाम	स्वीकृत पद	रिक्त पद
1	सहायक रजिस्ट्रार	01	01
2	निजी सहायक ग्रेड–II	03	02
3	वरिष्ठ सहायक	02	02
4	सूचना सहायक	02	02
5	कनिष्ठ सहायक	03	02

वर्तमान में 06 होमगार्ड/नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक अधिकरण की स्थाई पीठ जोधपुर में कार्यरत हैं।

3. अधिकरण की अधिकारिता :–

3.1 राजस्थान सिविल सेवा अधिनियम, 1976 की धारा 2(एफ) के प्रावधानों के तहत राज्य कर्मचारियों के निम्न सेवा मामलों में सुनवाई का अधिकार है :–

1. वरिष्ठता

2. पदोन्नति

3. पुष्टीकरण (स्थायीकरण)

4. वेतन स्थिरीकरण

5. किसी सरकारी कर्मचारी के वेतन भत्ते, पेन्शन तथा अन्य सेवा शर्तों का उसके हित में अस्वीकार अथवा परिवर्तन करने वाला कोई आदेश।

6. उच्च सेवा श्रेणी अथवा पद पर स्थापन होते हुए निम्न सेवा श्रेणी अथवा पद पर पदावनति वाले मामले।

7. पेन्शन रोकना अथवा अधिकतम पेन्शन अस्वीकार करना।

8. राजस्थान सरकार के कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.17(7) कार्मिक क–2/77 दिनांक 25.02.1995 के अनुसार स्थानान्तरण संबंधी मामलों में भी पूर्ण पीठ द्वारा अपीलें सुने जाने का प्रावधान था, अब राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 05.01.2016 के द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम 1976 के नियम 4 में संशोधन कर स्थानान्तरण से सम्बन्धित प्रकरण भी दो सदस्यीय पीठ द्वारा सुनने का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार स्थानान्तरण सहित सभी सेवा प्रकरणों का निस्तारण दो सदस्यीय पीठ द्वारा किया जाता है।

अधिकरण द्वारा पारित आदेश अन्तिम होता है। निर्णय से असंतुष्ट कार्मिकों के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में रिट दायर की जा सकती है।

3.2 <u>अधिकरण की शक्तियाँ</u> :–

अधिकरण के समक्ष प्रक्रियाएँ भारतीय दण्ड संहिता 1860 (केन्द्रीय अधिनियम सं 45 सन् 1860) की धारा 193 के अर्थों में न्यायिक प्रक्रियाएँ समझी जाती हैं।

1. दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (केन्द्रीय अधिनियम 2, सन् 1974) की धारा 345 तथा 346 और न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 (केन्द्रीय अधिनियम 70 सन् 1971) के प्रयोजनार्थ अधिकरण को एक सिविल न्यायालय समझा जाएगा।

2. अधिकरण के अधिनियम के अधीन अपील निपटाने के प्रयोजन के लिए मामलों में सिविल न्यायालय को सिविल प्रक्रिया संहिता 1903 (केन्द्रीय अधिनियम 5 सन् 1908) के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियां भी अधिकृत हैं।

3.3 <u>उल्लेखनीय उपलब्धियाँ</u>:– वर्ष 2024 में कुल 5465 प्रकरणों का निस्तारण किया गया है। उक्त वर्ष के दौरान आयोजित 4 राष्ट्रीय लोक अदालतों में संबंधित विभागों एवं अपीलार्थी अधिवक्ताओं के मध्य सहमति एवं समन्वय स्थापित कर कुल 485 प्रकरण निस्तारित किए गए हैं।

3.4 **<u>पुस्तकालय</u>**:– अधिकरण के पुस्तकालय में वर्ष 2024 के दौरान पुस्तकों की संख्या 11959 से बढ़कर 12083 हो गई हैं। अतः 124 नई पुस्तकों एवं विधि संबंधी पीरियोडिकल जरनल्स (Journals) का और समावेश हुआ है।

3.5 **<u>प्रतिलिपियाँ</u>**:– अधिकरण की प्रतिलिपि शाखा द्वारा वर्ष 2024 में कुल 6571 प्रतियां सशुल्क एवं 1317 प्रतियां निःशुल्क जारी की गई हैं। जिससे 28840/– रूपये की आय प्राप्त हुई।

4.1 2024 मे प्राप्त अपीलों का विवरण निम्नानुसार उल्लेखित है :–

(1) माहवार अपीलों का विवरण	–	सारणी 1
(2) जिलेवार अपीलों का विवरण	–	सारणी 2
(3) विभागवार अपीलों का विवरण	–	सारणी 3
(4) विषयवार अपीलों का विवरण	–	सारणी 4
(5) अन्य प्रार्थना पत्रों का विवरण	–	सारणी 5
(6) निर्णित अपीलों का विवरण	–	सारणी 6
(7) निर्णयों की प्रतियों का विवरण	–	सारणी 7
(8) अधिकरण को वित्तीय वर्ष 2024–25 में आवंटित बजट एवं दिसम्बर 2024 तक खर्च की स्थिति	–	सारणी 8

4.2 वर्ष 2024 के अंतर्गत नई दर्ज की गई अपीलों की (सारणी–3) के अनुसार निम्न स्थिति उभरकर आती है :–

क्र. सं.	विभाग	अपीलों की संख्या	प्रतिशत
1.	माध्यमिक शिक्षा विभाग	1744	34.68%
2.	राजस्व विभाग	453	9.01%
3.	ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग	449	8.93%
4.	चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	426	8.48%
5.	गृह / पुलिस विभाग	347	6.90%
6.	प्रारम्भिक शिक्षा विभाग	259	5.16%
7.	कृषि विभाग	179	3.56%
8.	वन विभाग	161	3.21%
9.	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	137	2.73%
10.	आयुर्वेद विभाग	128	2.55%
11.	स्वायत्त शासन विभाग	84	1.68%
12.	जल संसाधन विभाग	77	1.54%
13.	पशु पालन विभाग	73	1.46%
14.	ऊर्जा विभाग	63	1.26%

शेष सभी विभागों के मिलाकर लगभग 8.93% मामले दर्ज हुए हैं।

4.3 वर्ष 2020 से अधिकरण की निर्णित पत्रावलियों के निर्णय अधिकरण की वेबसाईट पर भी अपलोड किये जा रहे हैं।

रजिस्ट्रार
राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण,
जयपुर

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

सारणी 1: माहवार दर्ज अपीलों का विवरण वर्ष 2024

(दिनांक 01.01.2024 से 31.12.2024 तक)

माह	जयपुर	जोधपुर
जनवरी–2024	199	44
फरवरी–2024	926	25
मार्च–2024	433	112
अप्रेल–2024	172	16
मई–2024	189	28
जून–2024	216	14
जुलाई–2024	315	18
अगस्त–2024	281	23
सितम्बर–2024	279	13
अक्टूबर–2024	219	21
नवम्बर–2024	239	20
दिसम्बर–2024	1147	80
योग	**4615**	**414**
महायोग	5029	

रजिस्ट्रार
राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण
जयपुर

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

सारणी 2 : जिलेवार दर्ज अपीलों का विवरण वर्ष 2024
(दिनांक 01.01.2024 से 31.12.2024 तक)

क्रं. सं.	जिला	जयपुर	जोधपुर
1.	अजमेर	119	7
2.	अनूपगढ़	10	1
3.	अलवर	235	2
4.	उदयपुर	77	25
5.	करौली	91	0
6.	केकड़ी	21	0
7.	कोटपूतली–बहरोड़	90	0
8.	कोटा	179	15
9.	खैरथल–तिजारा	32	0
10.	गंगानगर	25	6
11.	गंगापुर सिटी	72	1
12.	चित्तौड़गढ़	63	23
13.	चूरू	101	21
14.	जयपुर	1027	7
15.	जयपुर ग्रामीण	68	0
16.	जालौर	8	6
17.	जैसलमेर	22	6
18.	जोधपुर	21	77
19.	जोधपुर ग्रामीण	1	0
20.	झालावाड़	99	2
21.	झुन्झुनूं	226	3
22.	टोंक	93	4
23.	डीग	36	0
24.	डीडवाना कुचामन	81	1
25.	डूंगरपुर	16	5
26.	दूदू	15	1
27.	दौसा	211	9
28.	धौलपुर	150	2
29.	नागौर	69	20
30.	नीम का थाना	89	0
31.	पाली	33	24
32.	प्रतापगढ़	44	3
33.	फलौदी	7	4
34.	बांसवाड़ा	68	32
35.	बाड़मेर	33	16
36.	बारां	105	2
37.	बालोतरा	3	6
38.	बीकानेर	80	18
39.	बूंदी	114	2
40.	ब्यावर	22	4
41.	भरतपुर	167	9
42.	भीलवाड़ा	108	6
43.	राजसमंद	31	4
44.	शाहपुरा	51	1
45.	सलूम्बर	6	0
46.	सवाई माधोपुर	100	1
47.	सांचौर	10	8

48.	सिरोही	11	12
49.	सीकर	190	7
50.	हनुमानगढ़	85	11
	योग	4615	414
	महायोग	5029	

रजिस्ट्रार
राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण,
जयपुर

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

सारणी 3 : विभागवार दर्ज अपीलों का विवरण वर्ष 2024
(दिनांक 01.01.2024 से 31.12.2024 तक)

क्रं. सं.	विभाग	जयपुर	जोधपुर
1	माध्यमिक शिक्षा विभाग	1575	169
2	चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	412	14
3	राजस्व विभाग	410	43
4	ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग	409	40
5	प्रारम्भिक शिक्षा विभाग	250	9
6	गृह विभाग	182	37
7	कृषि विभाग	173	6
8	वन विभाग	139	22
9	पुलिस विभाग	128	0
10	आयुर्वेद विभाग	119	9
11	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	113	24
12	स्वायत्त शासन विभाग	81	3
13	जल संसाधन विभाग	77	0
14	पशु पालन विभाग	61	12
15	ऊर्जा विभाग	59	4
16	महिला एवं बाल विकास विभाग	44	5
17	नगरीय विकास विभाग	34	0
18	कोष एवं लेखा विभाग	29	0
19	कार्मिक विभाग	28	0
20	आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग	27	0
21	सहकारिता विभाग	25	1
22	कॉलेज शिक्षा विभाग	25	2
23	वित्त विभाग	24	2
24	सार्वजनिक निर्माण विभाग	23	1
25	सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग	21	0
26	संस्कृत शिक्षा विभाग	21	0
27	खान एवं भू–विज्ञान विभाग	20	2
28	पेंशन विभाग	19	0
29	सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग	16	3
30	परिवहन विभाग	12	0
31	आबकारी विभाग	9	0
32	कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग	8	0
33	तकनीकी शिक्षा विभाग	7	3
34	वाणिज्य कर विभाग	4	1
35	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग	4	0
36	विधि विभाग	3	0
37	इंदिरा गांधी नहर परियोजना	3	0
38	स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग	2	0
39	राज्य बीमा और भविष्य निधि विभाग	2	0
40	अभियोजन विभाग	2	0
41	भू–जल विभाग	2	0

42	सिंचाई विभाग	2	0
43	सामान्य प्रशासन विभाग	2	0
44	सूचना एवं जनसंपर्क विभाग	2	0
45	जयपुर विकास प्राधिकरण	1	0
46	निर्वाचन विभाग	1	0
47	आई. टी. आई.	1	0
48	अल्प संख्यक विभाग	1	0
49	श्रम विभाग	1	0
50	स्थानीय निकाय विभाग	0	1
51	अन्य	2	1
	योग	4615	414
	महायोग	5029	

रजिस्ट्रार
राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण
जयपुर

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

सारणी 4 : विषयवार दर्ज अपीलों का विवरण वर्ष 2024

(दिनांक 01.01.2024 से 31.12.2024 तक)

क्रं. सं.	विषय	जयपुर	जोधपुर
1.	स्थानान्तरण	1983	161
2.	पदस्थापन	596	0
3.	वरिष्ठता एवं पदोन्नति	465	36
4.	वेतन और वेतन से संबंधित मामले	452	1
5.	अधिशेष	280	68
6.	चयनित वेतनमान	190	88
7.	वसूली	128	4
8.	निलंबन	125	21
9.	पेंशन	49	6
10.	वेतन के अलावा अन्य वित्तीय मामले	27	11
11.	सेवानिवृत्ति परिलाभ/अनिवार्य सेवानिवृत्ति	26	4
12.	पदावनति	15	0
13.	आरोप पत्र	9	0
14.	काल्पनिक लाभ	9	0
15.	सेवा बर्खास्त	1	0
16.	स्थायीकरण	1	0
17.	ए. सी. आर.	0	1
18.	कार्यग्रहण	0	2
19.	ए. पी. ओ.	0	2
20.	विविध	259	9
	योग	**4615**	**414**
	महायोग	**5029**	

रजिस्ट्रार
राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण
जयपुर

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

सारणी 5 : विभिन्न दर्ज प्रार्थना–पत्रों का विवरण वर्ष 2024

(दिनांक 01.01.2024 से 31.12.2024 तक)

विषय	जयपुर	जोधपुर
अवमानना	291	23
पुनर्स्थापना	39	25
पुनर्विलोकन	38	09
रिमाण्ड	0	0
विविध एवं त्रुटि सुधार	10	07
कुल योग	**378**	**64**

रजिस्ट्रार
राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण
जयपुर

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

सारणी–6 दिनांक 01.01.2024 से 31.12.2024 तक जयपुर एवं जोधपुर पीठ में प्राप्त एवं निर्णित अपीलों एवं प्रार्थना पत्रों का विवरण :–

प्रकरण दर्ज होने का वर्ष	2000 से 2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	योग	जोधपुर	कुल योग
1.1.24 को शेष अपील/ प्रार्थना पत्र	55	35	51	88	90	145	225	180	186	268	304	691	1046	2042	–	5406	610	6016
1.1.24 से 31.12.24 तक प्राप्त अपीलें	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4615	4615	414	5029
वर्ष 2024 में प्राप्त पुनर्स्थापना/रिमाण्ड/ अवमानना/रिव्यू प्रार्थना पत्र	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	378	378	64	442
योग	55	35	51	88	90	145	225	180	186	268	304	691	1046	2042	4993	10399	1088	11487
1.1.24 से 31.12.24 तक निर्णित अपीलें/प्रार्थना पत्र	46	34	50	87	82	135	185	130	60	98	96	134	216	1266	2089	4708	757	5465
31.12.24 को शेष	9	1	1	1	8	10	40	50	126	170	208	557	830	776	2904	5691	331	6022

रजिस्ट्रार
राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण
जयपुर

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

सारणी : 7 निर्णय की प्रतियां जारी किए जाने व उनसे प्राप्त राशि का मासिक विवरण वर्ष 2024 (दिनांक 01.01.2024 से 31.12.2024 तक)

माह / वर्ष	प्राप्त आवेदन–पत्र	प्रतिलिपियां दी गई	आवेदन–पत्र निरस्त	राशि प्राप्त रूपये में
जनवरी 2024	409	406	03	1304
फरवरी 2024	685	681	04	1865
मार्च 2024	990	987	03	3192
अप्रैल 2024	575	572	03	2037
मई 2024	626	621	05	2259
जून 2024	337	331	06	1170
जुलाई 2024	591	589	02	2145
अगस्त 2024	319	316	03	1707
सितम्बर 2024	500	498	02	2321
अक्टूबर 2024	382	381	01	3457
नवम्बर 2024	475	473	02	2812
दिसम्बर 2024	720	716	04	4571
योग	**6609**	**6571**	**38**	**28840**

जनवरी 2024 से दिसम्बर 2024 तक निःशुल्क राजकीय प्रयोजनार्थ 1317 प्रतियां जारी की गई।

वर्ष 2024 में माननीय उच्च न्यायालय में 145 मामले रैफर किए गए।

वर्ष 2024 में अधिकरण के आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिकाओं की संख्या अधिकरण के अभिलेखानुसार 07 है।

रजिस्ट्रार
राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण
जयपुर

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

सारणी 8 :– अधिकरण को आवंटित बजट (वित्तीय वर्ष 2024–25) व दिनांक 31.12.2024 तक व्यय की स्थिति निम्नानुसार है :–

(राशि लाखों में)

क्रं. सं.	मद	आवंटित	व्यय
1.	संवेतन	610.00	425.00
2.	यात्रा भत्ता व्यय	3.00	1.57
3.	चिकित्सा व्यय	0.15	—
4.	कार्यालय व्यय	30.00	29.55
5.	वाहनों का क्रय	0.01	—
6.	कार्यालय वाहनों का संचालन एवं संधारण	3.00	1.73
7.	विद्युत प्रभार एवं जल व्यय	7.00	4.04
8.	पुस्तकालय	1.00	0.49
9.	वाहन किराया	19.00	13.79
10.	संविदा सेवाएं	50.00	35.32
11.	वर्दी	0.30	0.25
12.	कम्प्यूटराइजेशन एवं तत् संबंधी संचार व्यय	25.00	13.54
	योग	**748.46**	**579.73**

नोट :–

1. वित्तीय वर्ष 2024–25 में राजस्व मद 0070 में जमा राशि दिनांक 31.12.2024 तक रूपये 91980/– (इकरानवे हजार नौ सौ अस्सी मात्र) है।
2. अंकेक्षण जाँच पैराओं की स्थिति :– बकाया आक्षेप– 12

रजिस्ट्रार
राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण
जयपुर